दिनांक 15 सितंबर, 2016 को सेवा भवन, नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की दूसरी बैठक दिनांक 15.09.2016 को सुबह 11.00 बजे केंद्रीय जल आयोग , सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। यह बैठक केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष और समूह के सदस्य संयोजक श्री ए बी पंड्या ने बुलाई थी। उन्होंने सभी सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। बाद में, श्री आर के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने कार्यसूची के विषयों को उठाया। प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 2.1: नई दिल्ली में 19 अगस्त, 2016 को आयोजित 'नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह' की पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

राजविअ के मुख्य अभियंता श्री आर के जैन ने बताया कि नई दिल्ली में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की दिनांक 19.08.2016 को आयोजित पहली बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को पत्र संख्या एससीआईएलआर/तक/400/11/2016 दिनांक 14 सितंबर, 2016 के माध्यम से परिचालित किया गया था। चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आईएलआर के लिए कार्य बल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि परिचालित के रूप में की जा सकती है। तदनुसार, पहली बैठक के कार्यवृत्त परिचालित के रूप में पुष्टि की गई थी।

मद संख्या 2.2: पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछली बैठक में किए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति के रूप में एजेंडा नोट्स में उल्लिखित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों द्वारा नोट किया गया था:

1. मौजूदा कानूनी प्रावधानों को एक ही स्थान पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और अगली बैठक से पहले परिचालित किया जाना चाहिए -

दिनांक 14.09.2016 को ई-मेल द्वारा परिचालित।

2. प्रस्तावित सीबीआईपी सत्र के लिए श्री एडी मोहिले और श्री अवधेश प्रताप के पत्रों को परिचालित किया जाना चाहिए।

दिनांक 22.08.2016 और 30.08.2016 को ई-मेल द्वारा परिचालित।

3. राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा तैयार किए गए राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय नदी जल के आबंटन (1998) के लिए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों के प्रारूप के संबंध में सूचना केंद्रीय जल आयोग के एनडब्ल्यूपी डीटीई से प्राप्त की जानी चाहिए।

प्राप्त किया जा रहा है।

4. उच्चतम न्यायालय के फैसलों का सार तैयार किया जाना चाहिए।

दिनांक 14.09.2016 को ई-मेल द्वारा परिचालित।

5. कार्य की मात्रा और समूह के समक्ष विषय वस्तु में शामिल मुद्दों की जटिलता के लिए विचार-विमर्श करने और उचित सिफारिशों के साथ बाहर आने के लिए पर्याप्त समय की

आवश्यकता होती है। इसलिए, कानूनी पहलुओं पर समूह के कार्यकाल को और चार महीने तक बढ़ाने के लिए आईएलआर के लिए कार्यबल से संपर्क किया जा सकता है।

अध्यक्ष, कार्य बल के साथ चर्चा की गई, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने की अवधि के लिए सहमति व्यक्त की है।

मद संख्या 2.3: मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर चर्चा

इस स्तर पर, सदस्य संयोजक श्री ए बी पांडया ने हस्तक्षेप किया और उल्लेख किया कि अब तक केवल दो सदस्यों के विचार प्राप्त हुए हैं। इसलिए उन्होंने अन्य सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने विचार शीघ्रता से प्रस्तुत करें ताकि अगली बैठक में सामान्य मुद्दों के साथ-साथ कानूनी पहलुओं पर अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रभावी तरीके से चर्चा हो सके। सदस्य श्री विराग गुप्ता ने आश्वासन दिया कि वह अगले 2-3 दिनों में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सदस्य संयोजक श्री ए बी पंडया ने भी अपने विचार शीघ्र प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। तथापि, कार्यसूची मद पर कोई विशिष्ट चर्चा नहीं हो सकी।

मद सं 2.4 :श्री एडी मोहिले के पत्रों पर चर्चा

कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि सामग्री को अधिक विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता थी।

मद सं 2.5: श्री अवधेश प्रताप के पत्रों पर चर्चा

उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तीन पत्रों पर समूह द्वारा चर्चा और समीक्षा की गई थी।

यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक सदस्य के विचारों/पत्रों को सभी सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिए ताकि यदि कोई सदस्य अन्य सदस्य के विचारों/ पत्रों पर टिप्पणी करना चाहता है, तो वे अगली बैठक में ऐसा कर सकें।

मद संख्या 2.6: उच्चतम न्यायालय के फैसलों के सार पर चर्चा

सदस्य श्री विराग गुप्ता ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दो पहलुओं अर्थात् नदियों को आपस में जोड़ने और नदियों का राष्ट्रीयकरण पर प्रार्थना की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए नदियों को आपस में जोड़ने की अनुमति दी है। तथापि, नदियों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया था। इसलिए उनकी राय में, इस मुद्दे को पहले लिया जाना चाहिए। दूसरे, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कानून मौजूदा संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अधिनियमित किया जाना चाहिए; वह यह जानना चाहते थे कि क्या नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के अंतर्गत संसद द्वारा कोई नदी बोर्ड किया गया है। सदस्य संयोजक द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि संसद द्वारा गठित अधिकांश बोर्ड बेतवा बोर्ड, बाणसागर बोर्ड आदि जैसे परियोजना विशिष्ट थे, न कि पूरे नदी बेसिन के विकास के लिए। इसके अतिरिक्त इन बोर्डों का गठन नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं किया गया था। तथापि, उन्होंने बताया कि संसद द्वारा गठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड पूरे बेसिन के लिए है न कि परियोजना विशिष्ट के लिए। श्री एडी मोहिले ने स्पष्ट किया कि यह बोर्ड विशेष रूप से केवल बाढ़ के उद्देश्य से बनाया गया है। अत बाढ़ नियंत्रण के घटक के बिना कोई

भी परियोजना ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ सकती है। तथापि, किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें एक घटक के रूप में बाढ़ नियंत्रण होगा, बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आएगी। तीसरा, श्री विराग गुप्ता ने अधिशेष जल के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया। यह स्पष्ट किया गया था कि यह पहले से ही किया जा रहा है।

श्री विराग गुप्ता ने सतही जल के साथ भूजल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि जब भूजल के लिए कानून बन सकता है तो सतही जल के लिए क्यों नहीं। श्री पंड्या का विचार था कि प्रस्तावित विधान में केवल जल शब्द होना चाहिए न कि नदी जल ताकि सतही और भूजल दोनों को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

मद संख्या 2.7: सदस्यों / संयोजक द्वारा सुझाए गए किसी भी अन्य मद

बैठक का समापन सदस्य संयोजक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

प्रतिभागियों की सूची

1.	श्री एडी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
2.	श्री विराग गुप्ता, संवैधानिक और पर्यावरण कानून विशेषज्ञ	सदस्य
3.	प्रो अवधेश प्रताप, जल कानून और प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
4.	श्री ए बी पांडया, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य-संयोजक
राजविअ के अधिकारी		
5.	श्री आर.के जैन मुख्य अभियंता (मुख्यालय)	
6.	श्री एन सी जैन निदेशक (टेक)	
7.	श्री एम.के सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार	
8.	श्री नागेश महाजन, उप निदेशक	